न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–95/2017

CIS NO. PS-163/2018

हीरामत खातुन...वादिनी

बनाम

अब्दुल कलाम गद्दी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
31.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–02 की ओर से आज दाखिल आवेदन दिनांक 31.01.2025 को प्रतिवादी सं0–02 विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–02 के तरफ से कुछ आवश्यक दस्तावेज/कागजात श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक 25.11.2024 को फ्री सबुत के साथ दाखिल किया गया है, जिसे न्यायहित में अभिलेख पर रखन आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0–02 द्वारा दाखिल दस्तावेज दिनांक 25.11.2024 को अभिलेख पर रखने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0–02 की गवाही न्यायालय में हो सके। वादिनी की ओर से प्रतिवादी सं0–02 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–02 का आवेदन दिनांक 31.01.2025 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 17.03.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	